

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जन्म की गई। जिसके अनुसार श्रीमान की जात सही पुरा जामबंदी 2015-78
 सातवा 268 में गिरधारी पुत्र रिहवाल की लीलाराम पुत्र रिहवाल
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। आवेदन का नाम दुरुस्त किये जाने की अतिशया की जाती है / नहीं
 की जाती है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

09-06-2023

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेचन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदन का नाम दुरुस्त किये जाने की अतिशया की जाती है / नहीं की जाती है।

09/06/23
 तहसीलदार (भू.अ.)
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	दीपपुर	2015-78	268	गिरधारी पुत्र रिहवाल लीलाराम पुत्र रिहवाल	गिरधारी लाल पुत्र रिहवाल लीलाचर पुत्र रिहवाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

09/06/23
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी 13/6/23

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 287-38
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

09/06/23
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी